न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

मुकदमा नम्बर:– 252/2015 दावा
निर्णय दिनांक:– 30.01.2025
पीठासीन अधिकारी:– राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

सवाईराम बनाम रंगलाल वगै0

उपस्थित विद्वान अधिवक्ता:– श्री सुनिल कुमार जोशी अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री हनुमान सहाय सिंहाग अधिवक्ता अप्रार्थी
प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 व धारा 151 जा0दी0

निर्णय दिनांक:– 30.01.2025

1. प्रार्थीगण सन्तरा देवी, न्याला देवी, नाथूराम की तरफ से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 व धारा 151 जा0दी0 के तथ्य संक्षेप्त मे इस प्रकार है कि वादी द्वारा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत वाद विचाराधीन है। उक्त वाद में वादी छीतर पुत्र सवाईराम जाति जाट का देहान्त दिनांक 31.05.2022 को हो गया है प्रार्थीगण सन्तरा देवी पत्नी स्व0 छीतर, नाथूराम पुत्र स्व0 छीतर, न्याला जाट पुत्री स्व0 छीतर के अलावा वादी छीतर के अन्य कोई विधिक वारिस नही है। प्रार्थीगण स्व0 छीतर पुत्र सवाईराम के विधिक वारिस है। इसलिये वादी छीतर पुत्र सवाईराम के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिया जाकर सुनवाई किया जाना न्यायोचित है।
2. अप्रार्थी/वादी की और से अधिवक्ता श्री हनुमान सहाय सिंहाग उपस्थित आये तथा प्रार्थना पत्र का जबाब पेश किया एवं अपने जबाब मे बताया की उक्त वाद सवाईराम द्वारा प्रस्तुत किया गया है एवं सवाईराम के मृत्यु के उपरान्त कोई विधिक वारिस रिकार्ड पर नही होने से उक्त वाद अबेट हो चुका है। ना ही उक्त पत्रावली में न्यायालय द्वारा मृतक वादी सवाईराम पुत्र हरनाथ के कायम मुकाम का प्रार्थना पत्र स्वीकार नही किया गया है तथा ना ही मृतक का छीतर को उसका उत्तराधिकारी माना है। उक्त वाद मे प्रतिवादी की और से आदेश 22 नियम 5 का प्रार्थना पत्र विचाराधीन है। उक्त वाद अबेट हो चुका है। इसलिये पूर्व मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के निस्तारण हुये बिना उक्त प्रार्थना पत्र कानूनन चलने योग्य नही होने से खारिज फरमाया जावे।
3. बहस विद्वान अधिवक्ता सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस मे अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये बताया की प्रार्थीगण की तरफा से कानूनी वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने बाबत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 व देरी ना की वजह से दफा 5 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। सवाईराम का छीतर पुत्र है या नही इसका कोई सबुत प्रस्तुत नही किया गया है। इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर छीतर के विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जयपुर

4. अप्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता श्री हनुमान सहाय सिंहाग उपस्थित आये तथा अपनी बहस मे बताया की प्रार्थीगण है सवाईराम के विधिक वारिस है। प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 के तहत छीतर के कायम मुकाम प्रस्तुत किये गये है। सवाईराम के कोई वारिस नही है। छीतर द्वारा प्रस्तुत दत्तक पुत्र का प्रार्थना पत्र पूर्व मे खारिज हो चूका है। रिविजन मे राजीनामा खारिज किया जाकर सवाईराम के वारिस पर आपत्ति जाहिर की है। प्रार्थीगण जायन्दा वारिस है या नही यह साबित करने के लिये कोई आधार प्रस्तुत नही किया है। जबकि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अबेटमेन्ट के आधार पर भी खारिज हो चूका है।

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस के सम्बन्ध मे निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये:–

1. 2022 (4)CJ (CIV) RAJ पेज 2456
2. 2021 CJ (CIV) (RAJ) पेज 1515
3. 2019 (1) DNJ (RAJ) 316
4. 2021 (1) DNJ (RAJ) 74

उपखण्ड अधिकारी, फागी, जिला–जयपुर

5. बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया की प्रार्थीगण की और से प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 प्रस्तुत कर वादी के विधिक वारिसान होने के कारण रिकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया गया है। किन्तु माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 21.08.2015 मे इस न्यायालय मे दिनांक 16.12.2005 को प्रस्तुत राजीनामा को निरस्त करते हुये मृतक सवाईराम के विधिक वारिसान बाबत् आदेश पारित करते हुये विधिसम्मत् आदेश पारित करने के निर्देश दिये गये थे। जबकि उक्त प्रकरण मे पूर्व से ही मृतक सवाईराम के विधिक वारिसान नही होने से प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 5 सी0पी0सी विचाराधीन है। इसलिये सर्वप्रथम **"सिंविल प्रकिया संहिता मे आदेश 22 नियम 5 पर गौर किया जाना आवश्यक है।**

"सिंविल प्रकिया संहिता मे आदेश 22 नियम 5 मे व्याख्या की गई है कि जब कभी यह प्रश्न उठे कि – कोई व्यक्ति मृतक का विधिक प्रतिनिधि है या नही? तो वह इस प्रश्न का निर्णय करे। इससे वाद का स्वरूप बदल जाने के आधार पर वह इस प्रश्न का निर्णय करने से मना नही कर सकता है।"

वादी सवाईराम द्वारा प्रस्तुत वाद के तत्समय अपने आप को रामकरण का दत्तक पुत्र बताते हुये वाद प्रस्तुत किया है। जबकि वाद प्रस्तुति के पश्चात सवाईराम द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज या गोदनामा प्रस्तुत नही किया गया है। जिससे स्पष्ट हो कि सवाईराम ही रामकरण का दत्तक पुत्र है। दौरान वाद सवाईराम की मृत्यु दिनांक 10.06.2004 को हो चूकी है जिसके सम्बन्ध मे छीतर दत्तक पुत्र सवाईराम द्वारा कायम मुकाम प्रार्थना पत्र किया गया। जो आज दिनांक तक स्वीकार नही किया नही किया गया हैं एवं मृतक छीतर दत्तक पुत्र सवाईराम को रिकार्ड पर नही लिया गया है। मृतक छीतर दत्तक पुत्र सवाईराम के वारिसान द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 प्रस्तुत किया गया है जबकि स्वयं छीतर दत्तक पुत्र सवाईराम को कभी वाद मे रिकार्ड पर नही लिया गया है। इसलिये प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 के तहत प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार नही है तथा मृतक छीतर पुत्र सवाईराम के

लगातार.....3

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जयपुर

वारिसान हाल प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 मे मृतक छीतर दत्तक पुत्र सवाईराम की मृत्यु दिनांक 31.05.2022 को होना जाहिर किया है जबकि प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 01.08.2023 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जबकि सिविंल प्रकिया के तहत प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सी0पी0सी0 90 दिवस के भीतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिये था। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 के अन्तर्गत अबेटमेन्ट निरस्त करने हेतु सिविल प्रकिया संहिता के आदेश नियम 9 के अन्तर्गत इस्दुआ नही चाही गई है।

6. उपरोक्त तथ्यो से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा मियाद बाहर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है एवं वादी सवाईराम दत्तक रामकरण द्वारा दत्तक पुत्र सम्बन्ध मे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया गया है एवं ना ही मृतक छीतर दत्तक पुत्र सवाईराम द्वारा भी गोदनामा/उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही किया गया है। इसलिये हम प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सी0पी0सी खारिज किया जाकर प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 5 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

<u>आदेश</u>

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सी0पी0सी0 खारिज किया जाकर वादी का वाद अबेट किया जाता है तथा वादी का वाद खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

30/1/25
(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर